न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 97/2007/223 आर टी ए

1. धर्मपाल पुत्र काशीराम (फौत)

1/1 चांदकौर पत्नि स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी बैरवालो की ढाणी तहसील भादरा।

1/2 मनोहरलाल पुत्र स्व. स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी बैरवालो की ढाणी तहसील भादरा।

1/3 रामचन्द्र पुत्र स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी बैरवालो की ढाणी तहसील भादरा।

1/4 विद्या पुत्री स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी बैरवालो की ढाणी तहसील भादरा।

1/5 विनोद पुत्री स्व. स्व. धर्मपाल जाति जाट निवासी बैरवालो की ढाणी तहसील भादरा।

2. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 1 भादरा तहसील भादरा हाल आबाद बैरवालो की ढाणी तहसील भादरा।

––अपीलांटस

बनाम

1. मु0 रेशमा बेवा भीमसिंह जाति जाट निवासी भादरा हाल आबाद शेरपुरा तहसील भादरा।

––असल रेस्पोडेंट

2. राजस्थान सरकार तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. रामी बेवा काशीराम जाति जाट निवासी भादरा।
4. मनभरी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. सन्तोष पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2007 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा प्र0सं0 327/92 (176/2002) अनवानी रेशमा बनाम धर्मपाल आदि

उपस्थित :–

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट

श्री महेशचन्द शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–23.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए प्रस्तुत किया कि वादिया के ससुर काशीराम के नाम चक 3 मुन्सरी एवं 8 बारानी मे क्रमशः 31 बीघा व 8 बीघा भूमि थी इस प्रकार दोनो चको की कुल 39 बीघा भूमि थी। वादिया के ससुर काशीराम की मृत्यु के बाद उसकी आराजी उसके तीनो पुत्र बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हुए। वादिया के पति की मृत्यु के बाद वादिया के पति के हिस्से मे आई आराजी की

मालिक वादिया हुई। परन्तु काशीराम की आराजी प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसे अपने हिस्से के अनुसार घोषणा करवाने की अधिकारी है। जिसमे प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादपत्र से इन्कारी करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून व नियम विरूद्ध है। विवादित भूमि दोनो चको की 39 बीघा मे वादिया के पति भीमसिंह ने अपना हक व हिस्सा सन् 1968 मे अपने पिता काशीराम के फौत होने के बाद विवादित भूमि जो 1/6 हिस्सा था वह नगदी रूपये मे कीमतन लेकर तर्क कर दिया था तथा वादिया को उक्त पारिवारिक बंटवारा का शुरू से ज्ञान था कि उसके पति ने वादग्रस्त भूमि अपना हक पूर्ण प्राप्त कर लिया है उसको दावा लाने का अधिकार नही था। उक्त भूमि सन् 1968 से प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। उक्त रकबा आवंटनशुदा था तथा उक्त रकबा की समस्त रकम व पैलन्टी प्रतिवादीगण अपीलांट ने दाखिल कर दी थी। उक्त भूमि प्रतिवादीगण का प्रतिकूल कब्जा हो चुका है। फिर भी विचारणीय न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर बिना किसी सही विश्लेषण दावा घोषणा प्राथमिक डिक्री करने मे कानूनी भूल की है। विचारणीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व जबानी साक्ष्य व पारिवारिक बंटवारा सन् 1968 को ना मानने का कोई तार्किक आधार अपने निर्णय मे दर्ज नही किया है जबकि कानून मे बंटवारा लिखि तमे होना आवश्यक नही है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 के ससुर काशीराम के नाम चक 3 मुन्सरी एवं 8 बारानी मे क्रमशः 31 बीघा व 8 बीघा भूमि थी इस प्रकार दोनो चको की कुल 39 बीघा भूमि थी। रेस्पो0 सं. 1 के ससुर काशीराम की मृत्यु के बाद उसकी आराजी उसके तीनो पुत्र बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हुए। रेस्पो0 सं. 1 के पति की मृत्यु के बाद रेस्पो0 सं. 1 के पति के हिस्से मे आई आराजी की मालिक रेस्पो0 सं. 1 हुई। परन्तु काशीराम की आराजी अपीलांट सं. 1 व 2 ने अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसे अपने हिस्से के अनुसार घोषणा व खाता तकसीम करवाने बाबत रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। अपीलांट का यह तथ्य गलत है कि रेस्पो0 सं. 1 के पति ने अपने हक व हिस्सा का त्याग अपीलांट के पक्ष मे किया हो। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे काशीराम की मृत्यु के बाद रेस्पो0 सं. 1 के पति एवं अपीलांट के मध्य कोई पारिवारिक बंटवारा नही हुआ है। अपीलांट ने काशीराम के नाम दर्ज भूमि बदनियती से तथ्यों को छुपाकर अपने नाम इंतकाल दर्ज करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर काशीराम के नाम की भूमि के संबंध मे काशीराम के समस्त वारिसान को बहिस्सा बराबर प्रत्येक को 1/6 हिस्सा की घोषणा की गई है। जो सही है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट के पिता व रेस्पो0 सं. 1 के ससुर काशीराम के नाम दर्ज थी। जिसमे काशीराम की मृत्यु के बाद उसके समस्त वारिसान यानि तीन पुत्र एवं दो

पुत्री व पत्नि का हक हिस्सा निहित था। परन्तु स्व. काशीराम की मृत्यु के बाद अपीलांटस ने वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जिसके विरूद्ध रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति के हक व हिस्सा की आराजी के संबंध मे घोषणा व खाता तकसीम का दावा प्रस्तुत किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर काशीराम के नाम की भूमि मे उसके समस्त वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर की घोषणा करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। जबकि अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 के पति भीमसिंह ने अपने हक हिस्सा का त्याग कीमतन अपीलांट के पक्ष मे कर दिया था तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पारिवारिक बंटवारा हो गया। पारिवारिक बंटवारा के आधार पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि प्राप्त हुई है। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 का व भीमसिंह का कोई हक व हिस्सा नही है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुये पारिवारिक बंटवारा बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया तथा ना ही स्व0 भीमसिंह द्वारा अपने हक व हिस्सा के त्याग किये जाने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपील मे वर्णित तथ्य सिद्ध नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2007 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ